वित्त पैनल ने क्या कहा

लेखक - नुशाबा इकबाल (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) एवं III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

04 फरवरी, 2020

"15वें वित्त आयोग ने राजस्व हस्तांतरण को 42% से घटाकर 41% कर दिया है। इसने जनसंख्या मापदंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए 'जनसांख्यिकीय प्रयास' की मापदंड का उपयोग किया है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।"

पंद्रहवें वित्त आयोग (FC) ने करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को सुनिश्चित करने के लिए 2011 की जनसंख्या के साथ -साथ वन आवरण, भार, राज्य के क्षेत्र और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को आधार माना है। जैसा कि व्यापक रूप से अनुमान लगाया गया था, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिणी राज्यों के शेयर कम हुए हैं, जिसमें कर्नाटक को सबसे अधिक नुकसान होगा।

संविधान में

वित्त आयोग एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है जो अन्य चीजों के अलावा, केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे का भी फैसला करता है। वित्त आयोग' एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के तहत् राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे किसी पूर्व समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है। अनुच्छेद 280 (3) (A) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, के वितरण बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के बारे में बताता है।

तदनुसार, आयोग राज्यों के बीच कर-बँटवारे के लिए एक फार्मूला निर्धारित करता है, जो राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्र, वन आच्छादन, कर क्षमता, कर प्रयास और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन का भारित योग है।

वित्त आयोग

गठन

- राष्ट्रपति द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त के बँटवारे पर अपनी सिफारिशें देने के लिए।
- संविधान के अनुच्छेद-280(1) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संविधान के लागू होने के दो वर्ष के अंदर और तत्पश्चात् प्रत्येक पाँचवें वर्ष की समाप्ति पर या इस समय से पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह अपने आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा।

कार्य

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद-275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता देना।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हों लागू करना।

आयोग की यह महत्त्वपूर्ण भूमिका राजकोषीय संघवाद के कार्यान्वयन में इसे महत्त्वपूर्ण बनाती है।

15वाँ वित्त आयोग

एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट शनिवार को संसद में पेश की गई। आयोग ने राजस्व हस्तांतरण (कर राजस्व का वह हिस्सा जो केंद्र राज्यों के साथ साझा करता है) को 42% से 41% तक कर दिया है। इस राजस्व हस्तांतरण में 1 प्रतिशत की कमी जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य की हिस्सेदारी के बराबर है, जो कि आयोग द्वारा वर्णित सूत्र के अनुसार 0.85% होगी।

आयोग ने कहा है कि वह रक्षा खर्च के लिए एक नॉन-लैप्सेबल निधि शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह स्थापित

करने का इरादा रखता है। आयोग के संदर्भ की शर्तों (terms of reference) में रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धन की केंद्र की माँग पर विचार करना शामिल था। यह विभाज्य पूल की गणना करने से पहले सकल कर राजस्व से एक अलग कोष बनाकर ऐसा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि राज्यों को करों का एक छोटा हिस्सा मिलेगा।

जनसंख्या मापदंड

दक्षिणी राज्यों की सरकारों ने आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले जनसंख्या मापदंड की आलोचना की है। पिछले वित्त आयोग ने 1971 की जनसंख्या (10%) की तुलना में 2011 की जनसंख्या (17.5%) को अधिक भार देते हुए, दोनों राज्यों की हिस्सेदारी की गणना करने के लिए दोनों 1971 और 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने तर्क दिया है कि संदर्भ की शर्तें 2011 की जनसंख्या का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं प्रदान करता है, साथ ही इन्होंने यह भी तर्क दिया है कि राजकोषीय समीकरण के हित में नवीनतम् जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करना आवश्यक है।

2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों को बड़े शेयर मिले हैं, जबकि कम प्रजनन दर वाले छोटे राज्यों (एक महिला के जीवन में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या) को कम शेयर मिले हैं।

हिंदी भाषी उत्तरी राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड) की संयुक्त जनसंख्या 47.8 करोड़ है। यह भारत की कुल आबादी का 39.48% है और 2011 की जनगणना के अनुसार, देश के 32.4% क्षेत्र में व्याप्त है। उन्हें करों के विभाज्य पूल (45.17%) के आनुपातिक हिस्से से थोड़ा अधिक मिलता है।

दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और अविभाजित आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्य करों के 13.89% हिस्से के साथ, 19.34% क्षेत्र में रहने वाली आबादी का केवल 20.75% हैं। इसका मतलब यह है कि आयोग द्वारा तय की गई शर्तें दक्षिणी राज्यों के अधिक प्रगतिशील और समृद्धि के खिलाफ हैं।

शक्तियाँ

- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है।
- प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकारक ज्ञापन भी रखवाना होता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।
- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।

14वां वित्त आयोग

- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी, 2013 को किया गया था।
- इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए लागू हैं।
- इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिए वैध हैं।
- 14वें वित्त आयोग ने 15 दिसंबर, 2014 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थीं।

15वां वित्त आयोग

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा।
- 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह होंगे।
- श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।

जनसांख्यिकीय प्रयास

राज्यों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने 12.5% वजन के साथ जनसांख्यिकीय प्रयास (जो अनिवार्य रूप से 1971 में राज्य की जनसंख्या का अनुपात 2011 में इसकी प्रजनन दर का अनुपात है) के लिए एक मानदंड विकसित किया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना जैसे राज्यों में प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से कम है।

हालाँकि, बढ़ते राज्यों के विचलन के जनसांख्यिकीय प्रयास का प्रभाव स्पष्ट नहीं है। तमिलनाडु के साथ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के शेयरों जिनमें सभी के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे प्रजनन दर है, लेकिन इनके शेयरों में उछाल आया है। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के शेयरों में गिरावट आई है, हालाँकि उनकी प्रजनन दर भी कम है।

राज्य के वित्त पर आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक जिसका 2017-18 में सबसे अधिक कर-जीएसडीपी अनुपात था, को इस प्रक्रिया में सबसे अधिक नुकसान उठाना पडेगा। 2.5% भार के साथ राज्यों के शेयरों को तय करने के लिए आयोग द्वारा कर प्रयास का भी उपयोग किया गया था।

आय दूरी की कसौटी

राज्यों का कुल क्षेत्रफल, वन आवरण के तहत् क्षेत्र और 'आय अंतराल' का उपयोग वित्त आयोग द्वारा कर-साझाकरण फार्मूले पर पहुँचने के लिए भी किया गया था।

आयोग ने हरियाणा की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी का उपयोग आय के अंतराल की गणना के संदर्भ के रूप में किया और इसे 14वें वित्त आयोग द्वारा सौंपे गए 50% की तुलना में 45% भार दिया। राज्य क्षेत्र को सौंपे गए भार को 15% पर अपरिवर्तित किया गया था और वन आवरण को 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया था।

विवाद

- 15वें वित्त आयोग के विचार के लिये संदर्भ की शर्तों (terms of reference) से केंद्र के सहकारी संघवाद पर संदेह जताया जा रहा है।
- 1971 की जनगणना की जगह 2011 की जनगणना के आधार पर संसाधनों का आवंटन।
- इससे दक्षिणी राज्यों को नुकसान होने की ज्यादा संभावना है, जो दशकों से अपनी आबादी को नियंत्रित करने के लिये बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- यह स्थिति अंतर्राज्यीय तनाव पैदा कर रही है जो देश की अखंडता के लिये घातक है।

चुनौतियाँ

- निजी निवेश के असंतुलित वितरण के कारण राज्यों के बीच बढ़ रही असमानता।
- विद्युत-वितरण कंपनियों के आर्थिक पुनरुद्धार के लिये राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बोझ।
- सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और समुचित कोष उपलब्ध कराना।
- समावेशी विकास के लक्ष्यों को पूरा करने और जलवायु-परिवर्तन से निपटने की सरकारी प्रतिबद्धताओं के लिए एक सुसंगत वित्तीय रणनीति बनाना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह हैं।
2. इस आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-2025 तक होगा।
3. इस आयोग ने राज्यों के राजस्व हस्तांतरण को 42% से बढ़ाकर 44% कर दिया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of the 15th Finance Commission.

1. The Chairman of the 15th Finance Commission is Mr. NK Singh..
2. The term of this commission will be till 2020-2025.
3. This commission has increased the revenue transfer of the states from 42% to 44%.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 3 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'वित्त आयोग का कार्य केंद्र-राज्यों में वित्तीय संघवाद को मजबूत करना है।' वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तावित प्रावधान किस हद तक वित्तीय संघवाद को साधते हुए दिखाई पड़ते हैं? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

'The task of the Finance Commission is to strengthen financial federalism among the center-states.' To what extent do the provisions recommended by the 15th Finance Commission currently reflect financial federalism? Discuss (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।